



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)

Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain - 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2025(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 11.06.2025

कार्यालय आदेश - 1722

विषय : प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / इकाइयों के छात्रों को महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पृथक अन्य किसी बोर्ड / विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने पर छात्रवृत्ति (प्रवेश) निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

प्रतिष्ठान के कार्यालय आदेश -1698 दिनांक 14-05-2025 के क्रम में समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को सख्त निर्देशित किया जाता है, कि अन्य किसी राज्य बोर्ड से पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा अध्ययनरत छात्रों को प्रतिष्ठान एवं मसारावेसंशिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध वेदभूषण एवं वेदविभूषण पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिलाए ।

प्रतिष्ठान से वेदपाठशालाओं / इकाइयों में अनुदानित छात्रों द्वारा अन्य किसी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही छात्रवृत्ति के रूप में शासकीय राशि का दुरुपयोग की श्रेणी में आता है तथा छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए भी उचित नहीं है ।

किसी भी वेदपाठशाला / इकाई में प्रतिष्ठान से अनुदानित छात्र अन्य किसी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी प्राप्त होने पर छात्र का तत्काल प्रभाव से प्रवेश निरस्त / छात्रवृत्ति निरस्त कर वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

अतः समस्त छात्रों की छात्रावास में , कक्षा में प्रतिदिन उपस्थिति एवं नियमित परीक्षा में समस्त छात्रों की उपस्थिति के विषय में सतर्क रहें ।

 11.6.2025

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

- प्रतिलिपि : (1) प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेदपाठशालाओं के आधुनिक विषय अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
(2) श्रीकांत चौबे, अनुभाग अधिकारी - सख्ती से अनुपालन के लिए ।
(3) कार्यालय आदेश पत्रावली।

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266

E-mail : msrvvpunj@gmail.com Website : msrvvp.ac.in